राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2892/2025

मोहम्मद जाहिर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.05.2025
आदेश की दिनांक : 16.06.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री करतार सिंह राजोरिया, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री दलबीर सिंह, प्रभारी अधिकारी

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 3 ने गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर अपीलार्थी को वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत कर दिया है तथा अपीलार्थी नाम क्रमांक 32 पर रखा गया है तथा उसका स्थानांतरण स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय, नादौती करौली से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगधार, झालावाड़ में आलौच्य आदेश दिनांक 19.05.2025 द्वारा किया गया है। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी की नियुक्ति प्रारम्भ में एलडीसी (जूनियर असिस्टेंट), राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, भवानीमंडी में आदेश दिनांक 11. 7.2020, झालावाड़ के पद पर हुई थी। उसके बाद अपीलार्थी को स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के लिए साक्षात्कार हेतु बुलाया गया। अपीलार्थी को सफल घोषित किया गया एवं अपीलार्थी को आदेश दिनांक 05.08.2021 द्वारा स्वामी विवेकानंद राजकीय ओम मॉडल स्कूल, ब्लॉक नादौती, जिला करौली राजस्थान में वरिष्ठ सहायक के पद पर प्रतिनियुक्त पर पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी का नाम उसे दिनांक 5.8.2021 के आदेश में क्रमांक 16 पर रखा गया तथा अपीलार्थी ने दिनांक 11.8.2021 को वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया।(अनुलग्नक–2 व 3) उसके बाद दिनांक 1.4.2024 से 26.3.2025 तक डीपीसी आयोजित की गई। प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 26.3.2025 के पदोन्नति के लिए एक स्थायी सूची जारी की जिसमें अपीलार्थी का नाम एस. नंबर 34 पर रखा गया है। इसके बाद, अपीलार्थी ने मॉडल स्कूल के प्रधानाचार्य को अपने परफॉर्मा पदोन्नति के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया। इसके बाद मॉडल स्कूल के प्रधानाचार्य ने प्रत्यर्थी संख्या 3 को एक पत्र लिखा और वरिष्ठ सहायक के रिक्त

पद पर अपीलार्थी को परफॉर्मा पदोन्नति देने का अनुरोध किया। (अनुलग्नक–4) इसके बाद प्रतिवादी संख्या 3 ने गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर अपीलार्थी को वरिष्ठ सहायक पद पर पदोन्नत कर दिया तथा अपीलार्थी का नाम क्रमांक 32 पर रखा गया है तथा उसे स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल, नादौती करौली से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगधार, झालावाड़ में आदेश दिनांक 19.05.2025 द्वारा स्थानांतरित किया गया है। संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा पाली संभाग, पाली ने दिनांक 19.5.2025 को एक कार्यालय आदेश जारी किया है जिसके द्वारा तीन व्यक्तियों को वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत कर उसी प्रतिनियुक्ति पदस्थापन स्थान अर्थात परफॉरमेंस पोस्टिंग पर लगाया गया है। (अनुलग्नक–5)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के संबंध में जारी आदेश दिनांक 19.05.2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को उसके वर्तमान प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित स्थान स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय, नादौती करौली में निरंतर कार्यरत रखा जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से प्रस्तुत अपील में निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील माननीय अधिकरण के समक्ष यह वर्णित करते हुए प्रस्तुत की गई है कि अपीलार्थी कार्मिक की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ सहायक के पद राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मण्डी, झालावाड में आदेश दिनांक 11.07.2020 के द्वारा की गई तथा आदेश दिनांक 05.08.2021 (प्रदर्श–2) के द्वारा अपीलार्थी को साक्षात्कार में चयन के पश्चात स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय, ब्लॉक नादौती, करौली में आरएसआर की धार 144 (क) एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्त किया गया तथा अपीलार्थी कार्मिक द्वारा दिनांक 11.08.2021 को प्रतिनियुक्ति पद पर कार्यग्रहण किया गया। अपीलार्थी कार्मिक को आलोच्य आदेश दिनांक 19.05.2025 के द्वारा वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगधार, जिला झालावाड में पदस्थापन प्रदान किया गया है। अपीलार्थी कार्मिक की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ सहायक के पद पर वर्ष 2020 में झालावाड जिले के ही राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी में हुई थी तथा अपीलार्थी कार्मिक की कनिष्ठ सहायक पद की वरिष्ठता भी झालावाड जिले में ही निर्धारित की जा रही है। अपीलार्थी कार्मिक को आदेश दिनांक 05.08.2021 के द्वारा स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल नादौती, जिला करौली में राजस्थान सेवा नियमों के नियम–144 (क) के तहत एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था, तत्पश्चात अपीलार्थी कार्मिक को उसकी मूल वरिष्ठता अनुसार संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा के आदेश दिनांक 26.03.2025 के द्वारा वरिष्ठ सहायक के पद

पर पदोन्नति प्रदान की गई। उक्त आदेश में यह स्पष्ट वर्णित किया गया था कि पदोन्नत कार्मिकों के पदस्थापन आदेश पृथ्क से जारी किये जावेंगें तथा अपीलार्थी कार्मिक को नियमानुसार पदस्थापन जारी करते हुए आलोच्य आदेश दिनांक 19.05.2025 के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गंगधार जिला झालावाड में पदस्थापित किया गया है। प्रत्यर्थीगण द्वारा समस्त कार्यवाही नियमानुसार संपादित करते हुए ही अपीलार्थी कार्मिक को पदोन्नति उपरांत पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी कार्मिक की एक वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त हो चुकी है तथा अपीलार्थी कार्मिक द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज भी माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जो यह प्रदर्शित करता हो कि अपीलार्थी कार्मिक की एक वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि को बढ़ाया गया हो। ऐसी स्थिति में जब अपीलार्थी कार्मिक की प्रतिनियुक्ति को किसी आदेश के माध्यम से बढ़ाया नहीं गया है तो अपीलार्थी कार्मिक को अपने पूर्व पदस्थापन स्थान पर कार्यरत रहने का कोई अधिकार नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत याचिका संख्या 770/2022 भवंर लाल शर्मा बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के आदेश दिनांक 06.09.2022 के द्वारा निम्न अभिमत प्रदान करते हुए प्रस्तुत खण्डपीठ याचिका को अस्वीकार कर खारिज फरमाया गया हैः–

A person working on deputation doesn't acquire an indefeasible right to continue working on deputation. It is settled law that a deputationist can claim neither a right to the post nor continuance /absorption on permanent basis to the post against which he is working on deputation.

माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत अपील का विषयवस्तु भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित अभिमत दिनांक 06.09.2022 के समान हीं है, अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त हो चुकी है तथा अपीलार्थी कार्मिक को नियमानुसार पदोन्नति उपरांत पदस्थापन प्रदान किया गया है। अपीलार्थी कार्मिक को बिना किसी समक्ष अधिकारिता के प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। अपीलार्थी कार्मिक को पदोन्नति उपरांत पदस्थापन नियमानुसार कोटा मंडल में ही प्रदान किया गया हैं। वरिष्ठ सहायक का पद मण्डल स्तरीय पद है तथा अपीलार्थी कार्मिक मूलतः झालावाड जिले/कोटा मण्डल का ही कार्मिक है तथा कार्मिक को झालावाड जिले से ही एक वर्ष की अवधि हेतु प्रतिनियुक्त किया गया था तथा अपीलार्थी कार्मिक की प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त हो चुकी है। अपीलार्थी कार्मिक को प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रहते हुए लगभग 03 वर्ष से अधिक की अवधि पूर्ण हो चुकी है। प्रतिनियुक्त पर लिया जाना अथवा प्रतिनियुक्ति को बढाया जाना नियोक्ता का क्षेत्राधिकार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी विभिन्न निर्णयों में यह

अभिमत प्रदान किया गया है कि एक निश्चित अवधि के उपरांत किसी कार्मिक को प्रतिनियुक्ति पर रहने का विधिक अधिकार नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च के समक्ष प्रस्तुत याचिका संख्या 7250/2016 दलबीर सिंह बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 23.02.2017 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निम्न अभिमत प्रदान किया गया है :–

"In the present writ petition] much&ado has been made over a trivial issue- To cut the long story short, it is noticed that petitioner was initially appointed as a Senior Teacher on 16-12-1991. He earned promotion and was last promoted as Principal Government Adarsh Senior School Tala, Jamwaramgarh, Jaipur. Meanwhile, the petitioner on 09-10-2015 was sent on deputation as an Additional District Project Co-ordinator in Government Secondary Education Council. The period of deputation of the petitioner was one year. It is undeniable fact that during the period of deputation, respondent&employer can recall the services of the petitioner. It is undisputed fact that in a master servant relationship, master can recall any servant sent on deputation to any organisation."

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी यह स्पष्ट अभिमत प्रदान किया गया है कि नियोक्ता अपने कार्मिक की सेवाएँ कभी भी प्रत्याहारित कर सकता है। (अनुलग्नक आर–2) अपीलार्थी कार्मिक को स्थानांतरित नहीं किया गया है अपितु पदोन्नति उपरांत नियमानुसार पदस्थापन प्रदान किया गया है। नियोक्ता द्वारा प्रशासनिक आवश्यकता/राज्य हित में कार्मिक को पदोन्नति उपरांत पदस्थापन प्रदान किया गया है। यदि अपीलार्थी कार्मिक पदोन्नति पर कार्यग्रहण नहीं करते हुए पदोन्नति का परित्याग करना चाहता है तो नियमानुसार वह उसके लिए भी स्वतंत्र है परन्तु नियमानुसार अपीलार्थी कार्मिक पदोन्नति के वित्तीय परिलाभ भी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील निरस्त फरमायी जावे।

हमने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह निर्विवाद है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रत्यर्थी संख्या 2 निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश दिनांक 05.03.2021 (अनुलग्नक–2) द्वारा साक्षात्कार से चयन उपरान्त प्रतिनियुक्ति पर राजकीय मॉडल विद्यालय नादौती जिला करौली में पदस्थापित है। यह प्रतिनियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए थी। अपीलार्थी की तरफ से प्रतिनियुक्ति अवधि को बढ़ाये जाने के संबंध में कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार उसकी निर्धारित प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त हो जाने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसका पदोन्नति पर पदस्थापन अन्यत्र किया जाना नियम विरूद्ध है। अपीलार्थी का

पदस्थापन उसी संभाग में जहां उसकी वरिष्ठता निर्धारित है, वहां किया गया है। अतः इसमें कोई दुर्भावना एवं नियम विरूद्धता नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना–पत्र के एतदद्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य